न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुभाष चन्द बनाम चौथमल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
दावा	मु.न. 888/2017	
18.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पचायत– कल्याणपुरा थोई में आयोजित शिविर में पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 22.10.2020 को जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक/भू.अ./2021/36 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर के दौरान ही प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से अपनी सहमति व्यक्त की एंव प्रकरण में आज ही अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा पेश वादपत्र बाबत तकास्मा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई में आयोजित कैम्प के मजमे–आम में सुनाया गया।	
	(दिलीप सिंह) 18/11/21 सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–कल्याणपुरा थोई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, श्रीमाधोपुर जिला सीकर
राजस्थान कैम्पः– कल्याणपुरा (थोई), पं.स. श्रीमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
888 / 2017	2017 / 953	23.06.2017	18.11.2021

उनवान

1. सुभाष चन्द्र पुत्र बोदूराम उम्र–38 वर्ष, जाति कुमावत निवीस ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. गणपत पुत्र हनुमानसहाय
3. रामलाल पुत्र हनुमान सहाय
4. श्योकोरी पत्नि हनुमान सहाय

समस्त जाति जाट निवासीगण मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. चौथमल पुत्र मंगला उम्र– 60 वर्ष
2. सीताराम पुत्र प्रभू उम्र–34 वर्ष
3. बद्रीनारायण पुत्र भूदाराम उम्र 70 वर्ष
4. सूण्डाराम पुत्र भूदाराम उम्र 67 वर्ष
5. गोविन्दराम पुत्र भूदाराम उम्र 63 वर्ष
6. चौथमल पुत्र भूदाराम उम्र 61 वर्ष
7. श्योकोरी पत्नि जगदीश उम्र 55 वर्ष
8. पुष्पा पुत्री जगदीश उम्र 35 वर्ष
9. अशोक पुत्र जगदीश उम्र 33 वर्ष
10. मौसम पुत्री जगदीश उम्र 33 वर्ष
11. रणवीर पुत्र जगदीश उम्र 28 वर्ष

    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

12. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर
13. उप पंजीयक, तहसील श्रीमाधोपुर
14. नायब तहसीलदार, अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर
15. पटवारी, पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

16 गोठी पुत्री हनुमान सहाय उम्र 68 वर्ष

18/11/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

17 बरजी पुत्री हनुमान सहाय उम्र 63 वर्ष
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री अभिषेक कुमावत, वादीगण अभिभाषक।
श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय –प्रतिवादीगण नं. 16 से 17 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 12

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 0.84 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार वादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/3, वादी नम्बर 2 ता 4 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 16 ता 17 के हिस्सा 24/96, प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्सा 1/12, प्रतिवादी नम्बर 3 ता 6 के हिस्सा 4/15, प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 के हिस्सा 1/15 संयुक्त रूप से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। कृषि भूमि अवस्थित तन् ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 0.49 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार वादी नम्बर 1 का हिस्सा 1200/4900, वादी नम्बर 2 ता 4 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 16 ता 17 के हिस्सा 24/96, प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्सा 1/12, प्रतिवादी नम्बर 2 का हिस्सा 433/4900, प्रतिवादी नम्बर 3 ता 6 के हिस्सा 4/15, प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के हिस्सा 1/15 संयुक्त रूप से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नम्बरान् पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

18/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्त वर्णित हिस्सानुसार वादीगण, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 16 ता 17 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। सभी खातेदार इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसका सभी सह काश्तकारों ने बाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा उसी अनुसार अलग–अलग भूमियों पर काबिज है परन्तु उक्त भूमियों का अभी तक कानूनन विधिक तकास्मा नहीं हुआ है। उक्त भूमियों पर सभी सह काश्तकार बराबर–बराबर हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है व विधिक तकास्मा नहीं होने के कारण प्रत्येक सहकाश्तकार उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बरान में एक–एक इंच पर हक अधिकार है। उक्त भूमि वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 व तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 16 ता 17 की शामलाती खातेदारी भूमि है व बिना विधिक तकास्मा कराये किसी भी अजनबी को उक्त भूमि में घुसने व काश्त करने या निर्माण आदि करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 धनबल व बाहुबल में वादीगण से ज्यादा है, वादीगण को हैरान परेशान करने पर तुले है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 भूमियों की बढ़ती कीमतों को देखकर बदनियति पूर्ण उक्त भूमि खसरा नम्बरान का बिना विधिक तकास्मा करवाये दीगर व्यक्तियों को बेचान करके बेशकीमती भू भाग पर दीगर व्यक्तियों का कब्जा करवाने पर आमादा है। उक्तानुसार भूमि का विधिक तकास्मा करवाया जाकर पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 17 के मध्य दर्ज हक, हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग–अलग खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर खातेदारी अलग–अलग दर्ज करवाना चाहते है। इस बाबत उक्तानुसार भूमियों का विधिक तकास्मा करवाया जाकर भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 के नाम अलग – अलग दर्ज की जाकर अलग से लगान कायम किये जाने हेतु बाबत उक्त वादपत्र तकास्मा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

18/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 7, 9, 11 से 14, 15 की तामील असालतन व इन्कारी से हो जाने से एंव बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 व 10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से करने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 व 17 के द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 19.10.2020 को इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मँगवाये जाने हेतु दिनांक 22.10.2020 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार भू.अ. श्रीमाधोपुर के पत्रांक 36/भू.अ./2021 दिनांक 28.10.2021 को विधिक विभाजन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से वादीगण वकील ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर कैम्प–कल्याणपुरा थोई में हाजिर होकर लोक अदालत की भावना से मुताबिक प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनका अभी तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

18/11/21

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विधिक विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण ने उक्त भूमियों का विधिक विभाजन चाहा गया है। जिस बाबत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है।

अतः ऐसी स्थिति में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 के नाम दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2021/36 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 के नाम पृथक–पृथक दर्ज किये जाने एंव लगान फाटनी किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

18/11/21
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–कल्याणपुरा (थोई)

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के कैम्पः–कल्याणपुरा (थोई) के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

18/11/21

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–कल्याणपुरा (थोई)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.07 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested